



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं०:144- विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/2011-2(21) एनजीए/2004

दिनांक 04-11-2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के सहयोगी विद्युत वितरण एवं पारेषण कम्पनियों में विभागीय कार्मिकों की अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 87वीं बैठक दिनांक 12-10-2011 में मद संख्या सत्तासी (108)/11 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में कारपोरेशन के पूर्व जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-61-औ०सं० एवं विनियम /पाकालि 2008-2(21)एनजीए/2004 दिनांक 06-11-2008 के निम्नांकित स्तम्भ 1 में प्रस्तर 4 के प्राविधानों को निम्नांकित स्तम्भ 2 के प्राविधानों से एतद्द्वारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ -1: (वर्तमान प्राविधान)

" 17 विनियम -5(बी) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सा० श्रेणी) के पद पर चयन परिचालकीय संवर्ग के टेक्नीशियन ग्रेड-2 व केबिल ज्वाइंटर पदधारकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। "

~~चयन 100 अंकों का होगा जिसका विभाजन निम्नवत् होगा :-~~

(क)	हाई स्कूल	20 अंक
(ख)	इण्टर या उच्चतर	10 अंक
(ग)	आई०टी०आई० /	25 अंक
(घ)	उच्च तकनीकी योग्यता(आई०टी०आई० के स्थान पर /डिप्लोमा	25 अंक
(य)	अनुभव (प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 01 अंक)	35 अंक
(र)	साक्षात्कार	10 अंक

स्तम्भ -2: (प्रतिस्थापित प्राविधान)

चयन 100 अंकों का होगा जिसका विभाजन निम्नवत् होगा :-

(क)	हाई स्कूल	25 अंक
(ख)	आई०टी०आई० / उच्च तकनीकी योग्यता (आई०टी०आई० के स्थान पर /डिप्लोमा / डिग्री)	30 अंक
(ग)	अनुभव (प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 01 अंक)	35 अंक
(घ)	साक्षात्कार	10 अंक

कमश.....2/-

जानपद मण्डल/खण्ड में कार्यरत कार्मिक (यांत्रिक संवर्ग) की उपरोक्त आधार पर अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति जानपद संवर्ग हेतु ही की जायेगी। इस प्रकार के चयन में अवर अभियन्ता (जानपद)/अवर अभियन्ता(इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन) के अनुपातिक चयन अलग-अलग रिक्तियों के अनुसार किये जायेंगे जिसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) सेवा विनियमावली-1972 भी उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी।

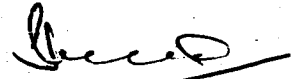
कार्यालय ज्ञाप संख्या-61-औ0सं0 एवं विनियम/पाकालि/2008-2(21)एनजीए/04 दि0 06-11-2008 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
नवनीत सहगल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं0:144(1)-विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन बाबू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के सलाहकार।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त निदेशकगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वारणासी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, बी-17 जे रोड सेक्टर-सी महानगर विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/सलाहकार (औ0सं0/काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ट्रान्सको।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 12-10-2011 को हुई बैठक की मद संख्या-सत्तासी (108)/11 के सन्दर्भ में।
- ✓ 12. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।
13. पत्रावली संख्या-05-विनियम/98।


(जावेद अहमद) ५/११/११
अनु सचिव